(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1993–94 और 1994 की वरिष्ठता सूचियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात देय राशि का भुगतान न किया जाना

2610. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) इस संबंध में अभी तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा पहले से ही दिए गए निर्णयों के आधार पर सर्वसम्मत निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) पेंशन की मंजूरी और अदायगी की प्रक्रिया विकेन्द्रित आधार पर चलती है। सेवानिवृत्ति लाभों की मंजूरी न करने संबंधी आकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं । कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने की अनुज्ञप्ति जारी करते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन औ पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है । सेवा-निवृत्ति लाभों का भुगतान न किए जाने के सबंध में नोडल विभाग को जब शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित कार्यालय से आव-श्यक दोषनिवारक कार्यवाहीं करने के लिए कहा जाता है ।

(ग) न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित मामलों में, जब तक कि उसी किस्म के सेवा-निवृतों के लिए भी विशेष रूप से निदेशन न दिए गए हों, सरकार का निर्णय सदैव मामलेवार होता है ।

करेंसी नोटों की छपाई

2611. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या **वित्त** मंत्री 1 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 913 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करेंसी नोटों की छपाई संबंधी इस परियोजना के लिए कितनी कंपनियों ने प्रस्ताव भेजे थे ;

(ख) जिन विदेशी कंपनियों को यह कार्य सौंपा गया है क्या उसके बारे में किसी विदेशी कंपनी ने कोई सवाल उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) विश्वव्यापी स्तर पर दिए गए विज्ञापनों के आधार पर 25 निविदाकारों की प्राप्त अनुक्रियाओं में से भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 पक्षकारों की लघु सूची तैयार की थी जिन्हें पात्र समझा गया था और अप्रैल, 1990 में उन्हें निविदा के प्रस्तुत किए जाने के लिए भागीदारी में आमंत्रित किया गया था । फिर भी, विभिन्न कारणों से 6 पक्षकारों में से 3 पक्षकारों को छांटा गया था और अन्य एक पक्षकार की निविदा को विधि-मान्य नहीं समझा गया था। इसलिए, केवल दो पक्षकार नई नोट प्रेस परि-योजना के दो स्थानों के लिए संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति के प्रयोजनार्थ इस क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग) निश्चित शर्तों को पूरा किए जाने पर दो पक्षकारों के बीच संयंत्र

और उपस्कर की आपूर्ति के लिए मांग व्यवस्था में साझेदारी का प्रस्ताव अभी भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। जबकि एक पक्षकार ने दावा किया है कि दूसरे पक्षकार ने अपने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों का उल्लंघन किया है, दूसरी ओर उत्तरवर्ती पक्षकार ने इस पर विवाद किया है।

Misuse of vabal scheme

2612. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI GHUFRAN AZAM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem captioned "Big row over misuse of VABAL Scheme" as reported in the Hindustan Times dated the 24th February, 1994;

(b) if so, whether DGFT have also brought the misuse of VABAL schemes to the notice of Government; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Director Geenral of Foreign Trade has constituted an inter-Ministerial Committte to look into the value Based Advance Licensing Scheme.

Non-passng of excise concessions to consumers

2613. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution had forwarded to the Ministry of Finance a copy of the report of the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) on the non-passing of excise concessions by the manufacturers/industries to the consumers and had also requested to take action against the industries/maunfacturers who did not either reply to BICP or cooperate with that; and

(b) if so, what action was taken by his Ministry, giving the names of the industries/manufacturers who either did not reply, or cooperated with BICP and have not passed the excise concessions to the consumers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes Sir, a copy of the BICP report was received from the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Dstiribution. While forwarding the BICP report, that Ministry had suggested that Ministry of Finance may consider studying the case of companies who did not cooperate with BICP team for proper action.

(b) The names of 38 firms/companies who had not replied to the BICP for details as required for their study is enclosed as Statement. (See below) No action was taken by the Ministry of Finance against the firms/companies for not sending replies to BICP or who might not have passed on the excise concession in full to the consumers. There is no provision in the central excise laws for taking action against any manufacturer for not passing on the benefit of duty concession to the consumers.

STATEMENT

1. MAN-MADE FIBRES

1. M/s. Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd.
2. M/s. Century Enka Ltd.
3. M/s. DCL Polysters Ltd.